केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, नई दिल्ली

बनाम

मैसर्स मोदी एल्कलीज एंड केमिकल्स लिमिटेड,

18 अगस्त, 2004

(एस. एन. वरियावा एंड अरिजीत पसायत, जे. जे.)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1994

नियम 9(2) 52-ए 17 3-क्यू और 209-ए-उत्पाद शुल्क-इकाइयों की क्लबिंग इकाइयों की परस्पर निर्भरता-निर्धारिती द्वारा निर्मित कास्टिक सोडा उपोत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस का निर्धारण निर्धारिती ने केवल 200 रुपये प्रत्येक की शेयर पूंजी वाली तीन कंपनियां बनायी इन कंपनियों को ऋण के रूप में भारी रकम दी गई निर्धारिती ने एक वित्तीय के माध्यम से इन कंपनियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की उक्त कंपनियों को सिलेंडरों को उपपट्टे पर दिया गया था निर्धारिती ने एक निश्चित दर पर उक्त कंपनियों को पाइप से हाइड्रोजन गैस पहुंचाई। उक्त कंपनियों ने इसे बहुत अधिक कीमत पर संपीड़ित और बोतलबंद किया उच्च दर अर्जित लाभ का भुगतान निर्धारिती को पट्टे के किराये के रूप में किया गया था सिलेंडर-रिकॉर्ड बनाए रखने और संचालन के लिए सामान्य कर्मचारी थे तीनों कंपनियों की इकाइयों के निदेशक कर्मचारी थे निर्धारिती-सीसीई (न्यायनिर्णयन) ने उक्त कंपनियों को डमी के रूप में रखा निर्धारिती और

यह कि निर्धारिती ने कम मूल्यांकन का सहारा लेकर शुल्क की चोरी की। इसलिए सीसीई (न्यायनिर्णयन) ने निर्धारिती पर शुल्क और जुर्माना लगाया तीनों कंपनियों के साथ मिलकर संपत्ति जब्त कर जुर्माना लगाया। तीन कंपनियों के निदेशकों पर जुर्माना-धारण की शुद्धता क्या इकाइयों की परस्पर निर्भरता थी और क्या दूसरी इकाई डमी है प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय किया जाना चाहिए। सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सामान्यीकरण या नियम नहीं हो सकता हो। दो बुनियादी विशेषताएं जो प्रथम दृष्टया परस्पर निर्भरता को दर्शाता है वे व्यापक वित्तीय थे नियंत्रण और प्रबंधन नियंत्रण -हालाँकि तीन कंपनियाँ बिक्री कर और आयकर अधिकारियों के तहत पंजीकृत थीं लेकिन जब कॉर्पोरेट पर्दा हटा दिया जाए तो इन कंपनियों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। तीनों कंपनियां करदाता की डमी हैं और यह तथ्यों को छिपाना स्पष्ट है। इसलिए वसूली के लिए सीमा अवधि स्पष्ट रूप से लागू है इसलिए सीसीई (अधिनिर्णय) गद्धयों पर शुल्क और जुर्माना और निदेशकों पर जुर्माना लगाना उचित है।

तीन कंपनियाँ-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 एएस जेजेए और 11- केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1985 ए उपशीर्ष 2804-90।

नई दलील- निर्धारण कर्ता सीसीई (न्यायनिर्णयन) ने विनिर्माण के संबंध में कोई दलील नहीं दी लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि

ऐसा विनिर्माण नहीं था लेकिन निर्धारिती ने निर्माता- प्रभाव के रूप में छूट का दावा किया इन परिस्थितियों में उक्त याचिका खारिज कर दी गई। निर्धारिती- प्रतिवादी नंबर 1 कास्टिक सोडा का जिसका उपोत्पाद हाइड्रोजन गैस थी निर्माण में लगा हुआ था। करदाता ने केवल 200 रुपये की शेयर पूंजी के साथ तीन कंपनियां बनाईं। उक्त कंपनियों को ऋण के रूप में काफी भारी रकम दी गई। करदाता ने वित्त के माध्यम से इन कंपनियों को ऋण की व्यवस्था भी की निर्धारिती ने पट्टे पर सिलेंडर प्राप्त किए और उप-पट्टे पर दे दिए वही इन कंपनियों को पाइपलाइन के माध्यम से हाइड्रोजन गैस भेजी जाती है कंपनियों को कंप्रेसिंग और बॉटलिंग के लिए एक निश्चित दर दी जाती है वही बदले मे इन कंपनियों ने बोतलबंद गैस को बहुत अधिक कीमत पर बेचा। उक्त कंपनियों ने निर्धारिती को सम्पूर्ण लाभ सिलेंडर का किराया के रूप में का भुगतान किया था इकाइयों के रिकॉर्ड बनाए रखने और संचालन के लिए निर्धारिती और तीन कंपनियों के पास सामान्य कर्मचारी थे। तीनों कंपनियों के निदेशक निर्धारिती के कर्मचारी थे।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन) ने यह बात कही कंपनियों को निर्धारिती की डमी के रूप में दर्शाया गया है और निर्धारिती ने कम मूल्यांकन का सहारा लेकर चोरी की है। तदनुसार सीसीई (न्यायनिर्णयन) ने निर्धारिती पर शुल्क और जुर्माना एक साथ जोड़कर लगाया तीनों कंपनियों के साथ की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया कंपनियों और उनके निदेशकों पर जुर्माना लगाया।

अपील मे केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण) अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीईजीएटी) ने माना कि इसमें कोई निर्माण और प्रक्रिया शामिल नहीं था इसलिए शुल्क की चोरी का सवाल ही नहीं उठता। सीईजीएटी ने आगे कहा कि जैसा कि आरोप लगाया गया है कोई परस्पर निर्भरता नहीं है केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों और सीसीई के आदेश को रद्द कर दिया।

राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया कि यद्यपि यह मुद्दा है सीसीईसी सीई से पहले कभी भी इस बारे में चर्चा नहीं की गई कि निर्माण हुआ था या नहीं। (न्यायनिर्णयन) सीईजीएटी ने स्वयं यह निर्णय लिया कि ऐसा नहीं था विनिर्माण जो तथ्यों और कानून पर समर्थित नहीं था। निर्धारिती की ओर से यह तर्क दिया गया कि तीनों कंपनियों का अलग कॉर्पोरेट अस्तित्व था बिक्री कर और आयकर के लिए अलग से मूल्यांकन किया गया और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण था और इसलिए ये कंपनियाँ निर्धारिती कंपनी की या डमी कंपनियाँ नहीं थीं परिपत्र क्रमांक 6ध92 दिनांक 29-5-1992 देखते है क्लबिंग का सवाल स्वीकार्य नहीं था और वह विस्तारित अवधि सीमा लागू नहीं थी।

न्यायालय अपील स्वीकार करते हुए।

माना: 1. क्या परस्पर निर्भरता है और क्या अन्य इकाई वास्तव में डमी है। प्रत्येक मामले के तथ्यों निर्णय किया जाना है। सार्वभौमिक

अनुप्रयोग का कोई सामान्यीकरण या नियम नहीं हो सकता। दो बुनियादी विशेषताएं जो प्रथम दृष्टया परस्पर निर्भरता दर्शाती हैं वे हैं व्यापक वित्तीय नियंत्रण और प्रबंधन नियंत्रण । वर्तमान में मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से वित्तीय नियंत्रण दर्शाते हैं। 625- जी- एच 626- ए

2. पूरे शो को वित्तीय प्रबंधन और दोनों पहलू स्तरों पर निर्धारिती द्वारा नियंत्रित किया गया था। यदि ये परस्पर निर्भरता दिखाएं यशायद इससे बेहतर कुछ भी नहीं होगा जिन कारकों का असर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सोने पर पड़ा है (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण ने तीन कंपनियों के पंजीकरण की तरह बिक्री कर और आयकर अधिकारियों के तहत विचार किया जाना चाहिए मामले के तथ्यों की पृष्ठभूमि में जब कॉर्पोरेट पर्दा हटता है केवल छाया ध्यान में आता है तीनों कंपनियों के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व के बारे में कोई पदार्थ नहीं। 626- एफ- जी

3. परिपत्र संख्या 6/92 दिनांक 29-5-1992 की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह अधिसूचना संख्या 175/86- सीई दिनांक 1- 3- 1986 से संबंधित है और अधिसूचना क्रमांक 1/93 से संबंधित नहीं है। परिसीमा की विस्तारित अवधि मामले के तथ्यों पर सामग्री को दबाने के रूप में स्पष्ट रूप से लागू होता है विशेषताएं और कारक स्पष्ट रूप से स्थापित किए गए हैं। 626- जी- एच 627

4. केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन) के समक्ष यह सवाल था कि निर्माण हुआ या नहीं इस दलील को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए कि कोई निर्माण नहीं हुआ था तथ्य को ध्यान में रखते है कि तीन कंपनियों द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 1/93 का लाभ उठाने के लिए विनिर्माताओं को छूट का दावा किया गया था। [627- ए-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:- सिविल अपील संख्या 7827- 7834/ 2002

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निर्णय एवं आदेश दिनांक 22-4-2002 से और गोल्ड (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली ए नं सं 237-2441 में 99- डी में एफओ 2002- डी की संख्या 134- 141।

अनूप जी चौधरी संजय ग्रोवर श्रीमती जून चौधरी पी. परमेश्वरन रोहित सिंह और बी कृष्णा प्रसाद अपीलकर्ता की ओर से।

ए के जैन, राजेश कुमार और राजेश जैन प्रतिवादियों की ओर से।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

अरिजीत पसायत जे सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क और सोना (नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण नई दिल्ली (संक्षेप में सीईजीएटी के लिए) ने सामान्य आक्षेपित निर्णय द्वारा माना कि प्रतिवादी कंपनी नंबर 1 और

प्रतिवादी संख्या 2- 4 कंपनियां के मध्य कोई अंतर- निर्भरता नहीं थी।

संक्षेप में पृष्ठभूमि तथ्य इस प्रकार हैं।

प्रतिवादी संख्या 1- मेसर्स मोदी अल्कलीज़ एंड केमिकल्स लिमिटेड (संक्षेप में एमएसीएल) कास्टिक सोडा के निर्माण में लगी हुई है जिसमें हाइड्रोजन गैस एक उप- उत्पाद है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने देखा कि वास्तव में एमएसीएल केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम 1988 (संक्षेप में टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के उपषीर्ष 2804.90 के अंतर्गत आने वाली हाईड्रोजन गैस के निर्माण में लगा हुआ 15 पीटी था लेकिन उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचने के लिए इसने तीन प्रमुख कंपनियां बनाई अर्थात् प्रतिवादी नं 2 से 4 यानी मेसर्स महाबलेश्वर गैस एंड केमिकल्स प्रा- लिमिटेड (संक्षेप में एमजीसीपीएल श्री चामुंडी गैस एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड (संक्षेप में एमजीसीपीएल और मैसर्स निप्पॉन गैस एंड केमिकल्स प्रा लिमिटेड (संक्षेप में एनजीसीपीएल के लिए तीनों प्रमुख कंपनियां एमएसीएल की फैक्ट्री के आसपास थीं। असल में हुआ यह था कि पाइपलाइनों के जरिए हाइड्रोजन गैस को कंप्रेस करने और बोतलबंद करने के लिए तीन प्रमुख कंपनियों को भेजा गया था। जिसका एक मात्र उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 1/93 दिनांक 28-2-1993 के तहत लघु उद्योगों को दी गई छूट का लाभ उठाना था और इस तरह केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से बचना था। सत्य को उजागर करने की दृष्टि से एंटी- इविज़न के महानिदेशक (संक्षेप में डीजीएई) ने 27-9-1996

को एमएसीएल और तीन प्रमुख कंपनियों के कारखाने और कार्यालय परिसर की तलाशी ली। यह पाया गया कि सभी तीन बॉटलिंग इकाइयाँ एक ही शेड में स्थित थीं और लगभग 4 फीट ऊँचाई की छोटी ईंट की दीवारों द्वारा एक दूसरे से अलग की गई थीं। तीनों प्रमुख कंपनियों के निदेशक या तो एमएसीएल या अन्य मोदी समूह की कंपनियों के कर्मचारी थे और उन्हें अक्सर बदला जाता था। उनके पास अभिलेखों के रखरखाव और इकाइयों के संचालन के लिए सामान्य कर्मचारी थे। मुख्य संयंत्र और मशीनरी यानी सिलेंडरों की आपूर्ति केवल एमएसीएल द्वारा की गई थी और कुल वित्त एमएसीएल द्वारा असुरक्षित ऋण के रूप में प्रदान किया गया था या वित्त कंपनियों द्वारा व्यवस्थित किया गया था जिनके बारे में तीन प्रमुख कंपनियों के निदेशकों को भी पता नहीं था। उत्पादों का विपणन एससीजीसीपीएल के तथाकथित निदेशक रितेश बेओत्रा द्वारा किया गया था जो दिल्ली में मेसर्स मोदी गैस एंड केमिकल्स सेल्स डिपो में उप प्रबन्धक (विपनण) के रूप में कार्यरत थे। वह मोदी समूह की कंपनी द्वारा निर्मित विभिन्न गैसों का विपणन कर रहा था और एमएसीएल के एक कर्मचारी के रूप में जवाबदेह था। इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि ग्राहकों को बेचे जाने तक बोतलबंद करने के चर- के बाद भी एमएसीएल का हाइड्रोजन गैस पर नियंत्रण था। तीनों इकाइयों की बैलेंस- शीट और अन्य वित्तीय विवरणों से पता चला कि उन्होंने जो भी आय अर्जित किए वह सिलेंडर के लीज रेंट के रूप में एमएसीएल को गई थी। एमएसीएल के लेखाकार श्री

सीता राम गोस्वामी और एमएसीएल के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री अशोक कुमार ने स्वीकार किया कि एमएसीएल द्वारा तीन कंपनियों द्वारा आपूर्ति की गई हाइड्रोजन गैस की इनवॉइस कीमतों के अलावा कुछ नकद राशि भी एकत्र की गई थी। यह नोट किया गया कि जहां अगस्त 1996 तक फ्रंट कंपनियों को एमएसीएल द्वारा 0.50 प्रति यूनिट की दर से गैस की आपूर्ति की जा रही थी वही गैस तीन कंपनियों द्वारा 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची गई थी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते है अधिकारियों का मानना था कि एमएसीएल ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 1/93 दिनांक 28- 2- 1993 के तहत दी गई छूट का लाभ उठाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क से बचने के इरादे से तीन कंपनियां बनाई थीं और मूल्यांकन योग्य मूल्य की गलत घोषणा की थी।

कारण- बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें एमएसीएल को यह बताने के लिए कहा गया था कि नियम 9 केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 11 के साथ पढ़ा जाता है के प्रावधानों के तहत संबंधित अवधि यानी 9-5-1995 से 27-9-1996 के लिए 2058732.65 रुपये का केंद्रीय उत्पाद शुल्क उससे क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए। इसके अलावा नियमों के नियम 52ए और 173क्यू और धारा 11 के संदर्भ में जुर्माना अधिनियम की धारा 11 ए(2) के तहत निर्धारित ब्याज सहित लगाया जाना था। यह कारण बताना भी आवश्यक था कि नियमों के नियम 173क्यू के संदर्भ में तीन फ्रंट इकाइयों में स्थापित भूमि भवन

संयंत्र और मशीनरी को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। तीन अधिकारियों को यह बताने के लिए कहा गया कि उनमें से प्रत्येक पर नियम 209ए के तहत जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। कारण बताओ प्राप्त होने पर एमएसीएल ने उत्तर दिया कि तीनों कंपनियां कॉर्पोरेट अस्तित्व वाली स्वतंत्र संस्थां थीं और अपनी मशीनरी का उपयोग कर रही थीं। ऋण वापस कर दिए गए हैं और सिलेंडरों पर लीज रेंट का भुगतान भी कर दिया गया है। केवल इसलिए कि एमएसीएल ने सिलेंडर लीज पर लिया था और तीन कंपनियों को आपूर्ति की थी कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जाना था। यहां तक कि अगर आम कर्मचारी रिकॉर्ड बनाए रखते हैं और इकाइयों का संचालन करते है तो भी यह साबित नहीं होगा कि कंपनियां अस्तित्व में ही नहीं थीं या एमएसीएल अपने परिसर में विनिर्माण गतिविधियों वाली कंपनी थी। इसी तरह के जवाब तीन कंपनियों द्वारा दायर किए गए थे जिन्होंने इस बात से इनकार किया था कि वे फर्जी इकाइयां कंपनियां थीं। यह बताया गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानूनों की सभी आवश्यकताओं का पालन किया गया था। एमएसीएल के साथ उनके द्वारा किए गए लेनदेन में कुछ भी संदिग्ध नहीं था।

कारण बताओ उत्तर पर विचार करने के बादए केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (न्यायनिर्णयन), दिल्ली (संक्षेप में आयुक्त) ने तथ्यात्मक स्थिति का विश्लेषण किया और पाया कि यह एक स्पष्ट मामला है जहां तीन कंपनियां एमएसीएल की डमी थीं। बॉटलिंग कंपनियों के अस्तित्व को

दिखाने के लिए दस्तावेज़ बनाए गए है जबकि वास्तव में एमएसीएल इकाइयों पर पूर्ण नियंत्रण में था और इसलिए एमएसीएल को कम मूल्यांकन का सहारा लेकर शुल्क से बचने के लिए माना गया था। प्रस्तावित शुल्क और जुर्माना लगाया गया। क्रमशः 20 लाख रुपये 7 लाख रुपये और 50000/- रुपये के जुर्माने के भुगतान पर मोचन के विकल्प के साथ तीनों कंपनियों की भूमि भवन संयंत्र और मशीनरी को जब्त करने का निर्देश दिया गया था। तीनों कंपनियों में से प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

सीईजीएटी के समक्ष आठ अपीलें दायर की गयी जिन्होंने सामान्य निर्णय द्वारा आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया। अन्य बातों के साथ- साथ यह निष्कर्ष निकला कि (1) इस प्रक्रिया में कोई विनिर्माण शामिल नहीं था और इसलिए शुल्क की चोरी का सवाल ही नहीं उठता (2) कोई अंतर-निर्भरता नहीं थी जैसा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने आरोप लगाया था। तीन कंपनियों का स्वतंत्र अस्तित्व था और तथ्यात्मक स्थिति यह नहीं दर्शाती थी कि वे मुखौटा कंपनियां थी जैसा कि अधिकारियों ने आरोप लगाया था।

अपील के समर्थन मे अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तथ्यात्मक स्थिति और कानून के लागू सिद्धांतों का विश्लेषण करते समय सीईजीएटी गंभीर त्रुटि में पड़ गया है। विशेषताएं जो स्पष्ट रूप से

साबित करती हैं कि तीन कंपनियां फ्रन्ट वाली कंपनियां थी उन्हें सीईजीएटी द्वारा हल्के ढंग से खारिज कर दिया गया है। यह भी ध्यान देने में असफल रहा कि लेन- देन 200 रुपये की शेयर पूंजी वाली कंपनियों द्वारा किया गया था। सीईजीएटी ने प्रबंधन और विपणन के संबंध में भी गलत निष्कर्ष दर्ज किए हैं। यद्यपि यह मुद्दा कि क्या निर्माण हुआ था आयुक्त के समक्ष कभी नहीं उठाया गया था सीईजीएटी ने स्वयं ही यह निष्कर्ष निकाला कि कोई विनिर्माण नहीं हुआ था। यह निष्कर्ष तथ्यों और कानून के आधार पर समर्थित नहीं है।

जवाब मे उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सीईजीएटी ने तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का सही विश्लेषण किया है और सही निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि तीनों कंपनियों का अलग-अलग कॉर्पोरेट अस्तित्व है बिक्री कर और आयकर का अलग- अलग मूल्यांकन किया जाता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क पंजीकरण है। उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारियों को रिकॉर्ड सौंपे जिन्हें उनके द्वारा सत्यापित किया जा रहा था। किसी भी स्थिति मे भारत सरकार वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी परिपत्र संख्या 6/92 दिनांक 25-5-1992 के मद्देनजर किसी भी क्लबिंग का प्रश्न स्वीकार्य नहीं था। यह वास्तव में अधिसूचना संख्या सीईआर 8(5) केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिनांक 1- 3- 1956 की निरंतरता थी। यह बताया गया कि सीमा की विस्तारित अवधि को लागू

करने के लिए कोई दमन या चोरी नहीं थी। कारण बताओ नोटिस 26- 6- 1997 को जारी किया गया था और 9- 5- 1992 से 27- 9- 1996 की अवधि के संबंध में 23- 10- 1998 को आदेश पारित किया गया था। इसलिए पूरी कार्यवाही सीमा की निर्धारित अवधि से परे थी।

क्या वहां पर कोई अंतर- निर्भरता है और क्या कोई अन्य इकाई वास्तव में एक डमी है इसका निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर कि 14 पीटी या जाना चाहिए। सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई सामान्यीकरण या नियम नहीं हो सकता। दो बुनियादी विशेषताएं जो प्रथम दृष्टया अंतर- निर्भरता दिखाती है वे हैं व्यापक वित्तीय नियंत्रण और प्रबंधन नियंत्रण। वर्तमान मामले में तथ्य स्पष्ट रूप से वित्तीय नियंत्रण दर्शाते हैं। निर्विवाद रूप से तीनों कंपनियों में से प्रत्येक की शेयर पूंजी 200 ध/- रुपये थी। यद्यपि यह दावा किया गया था कि वित्तीय कंपनियों से वित्तीय सहायता प्राप्त की गई थी यह रिकॉर्ड पर है कि एमएसीएल द्वारा तीन कंपनियों को दिए गए असुरक्षित ऋण 1- 4- 1998 को काफी भारी मात्रा में थे। एनजीसीपीएल को 1.55 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद लगभग 14 लाख का भुगतान किया जाना प्रतीत हुआ। एनजीसीपीएल को दिया गया ऋण लगभग रु- 52 लाख जबकि एससीजीसीपीएल के लिए यह लगभग 65 लाख रुपये थी। आयुक्त के इस निष्कर्ष पर गंभीरता से विवाद नहीं किया गया है कि वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता एमएसीएल की सहायता से प्राप्त की गई थी। इसके अलावा

सिलेंडरों को एमएसीएल द्वारा एक अन्य कंपनी से पट्टे पर लाया गया था और तीन कंपनियों को उप- पट्टे पर दिया गया था। सिलेंडरों पर एमएसीएल का नाम लिखा हुआ था। यदि तीनों कंपनियों की दलीलें अलग-अलग थी तो यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि वे पट्टे के आधार पर पट्टेदारों से सीधे सिलेंडर क्यों नहीं प्राप्त कर सकी और एमएसीएल को पट्टेदार के रूप में पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और फिर तीन कंपनियां उप- पट्टेदार बन गईं। जैसा कि आयुक्त ने नोट कियाए सम्पूर्ण रसीदें एमएसीएल को पट्टा राशि के रूप में भुगतान की गईं। यहां फिर से कम- मूल्यांकन पहलू महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि एमएसीएल द्वारा तीन कंपनियों को आपूर्ति 0.50 प्रति यूनिट रुपये थी। तीनों कंपनियों द्वारा बिक्री मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट था। यह रिकॉर्ड में है कि खाते आम कर्मचारियों द्वारा रखे जाते थे और विपणन एक ऐसे व्यक्ति की देखरेख में किया जाता था जो समान समूह से संबंधित होता है। यह राशि एमएसीएल के एक कर्मचारी द्वारा एकत्र की गई है। कंपनियों के तथाकथित निदेशक निर्विवाद रूप से एमएसीएल के कर्मचारी थे। लगभग सम्पूर्ण वित्तीय संसाधन एमएसीएल द्वारा बनाए गए थे। वित्तीय स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कंपनियों के लिए वित्तीय व्यवस्था में एमएसीएल की सामान्य से अधिक रुचि थी। कर्मचारियों निदेशकों के बयानों से पता चलता है कि पूरे शो को वित्तीय और प्रबंधन दोनों पहलुओं पर एमएसीएल द्वारा नियंत्रित किया गया था। यदि ये अंतर- निर्भरता दर्शाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं तो संभवत इससे

बेहतर कुछ भी इसे दर्शाने वाला नहीं होगा। बिक्री कर और आयकर अधिकारियों के तहत तीन कंपनियों के पंजीकरण जैसे सीईजीएटी को महत्व देने वाले कारकों पर ऊपर उल्लेखित तथ्यात्मक स्थिति की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए। जब कॉर्पोरेट पर्दा हटता है तो केवल छाया ही ध्यान में आती है तीनों कंपनियों के स्वतंत्र रूप से अस्तित्व के बारे में कोई तथ्य नहीं। परिपत्र संख्या 6/92 दिनांक 29- 5- 1992 की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि यह अधिसूचना संख्या 175 ध्86- सीई दिनांक 1- 3- 1986 से संबंधित है और अधिसूचना संख्या 1/93 से संबंधित नहीं है। परिसीमा की विस्तारित अवधि मामले के तथ्यों पर स्पष्ट रूप से लागू थी क्योंकि भौतिक विशेषताओं और कारकों का दमन स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है। यदि वास्तव में तीनों कंपनियां फ्रन्ट वाली कंपनियां हैं तो एमएसीएल के हाथों मूल्यांकन की जाने वाली प्रति यूनिट कीमत 5 रुपये है न कि 0.50 रुपये जैसा कि खुलासा किया गया है। कमिश्नर के सामने यह सवाल ही नहीं था कि निर्माण हुआ था या नहीं। इस दलील को भी खारिज कर दिया जाना चाहिए कि कोई निर्माण नहीं हुआ था इस तथ्य को ध्यान में रखते है कि तीन कंपनियों द्वारा केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना संख्या 1/93 का लाभ उठाने के लिए निर्माता के रूप में छूट का दावा किया गया था।

अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि सीईजीएटी का निर्णय बचाव योग्य नहीं है। तदनुसार इसे अलग रखा जाता है और आयुक्त की स्थिति को बहाल

किया जाता है जहां तक मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर एमएसीएल पर शुल्क जुर्माना और ब्याज लगाने का सवाल है।

तदनुसार लागतों के संबंध में बिना किसी आदेश के अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सौरव (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।